प्रेस नोट

मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना–2023

प्रमुख बिन्दु

- वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत 1 अक्टूबर, 2023 से मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना–2023 का शुभारम्भ।
- जीएसटी संवर्धन तथा बिल की प्रवृति को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार योजना।
- राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना।
- एक करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार।
- प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार।
- मासिक पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः दस लाख रुपये, 5 लाख रुपये तथा 50 हजार रुपये के पुरस्कार।
- वार्षिक बम्पर पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः एक करोड़ रुपये, 25 लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये के पुरस्कार।
- प्रत्येक जिले को समुचित प्रतिनिधित्व हेतु अतिरिक्त रूप में 50 जिले 50 पुरस्कार का प्रावधान।
- कुल 1 हजार सांत्वना पुरस्कार।
- योजना के लिये ऑनलाइन पोर्टल एवं ऐप, जन–आधार कार्ड से इंटीग्रेशन
- मासिक पुरस्कार हेतु उपभोक्ता माह समाप्ति के बाद आगामी 10 दिवस में बिल अपलोड कर सकेगा।
- बिल अवधि के अगले माह की 20 तारीख को ऑनलाइन ड्रा लॉटरी द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदकों का चयन किया जायेगा।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली राशि का 5 प्रतिशत बिल जारीकर्ता फर्म को प्रदान की जायेगी।

1.1. योजनान्तर्गत कर योग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के **B2C (Business to Consumer)** बिल/इनवॉइस जिनकी न्यूनतम राशि रू 1000/– व अधिकतम राशि रू 1,00,000/– होगी, मान्य होंगे।

1.2. योजनान्तर्गत निम्न जारी बिल/इनवॉइस पात्र नहीं होंगे–

(i) एयरलाईन, रेलवे
(ii) बैंकिंग व वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनी,
(iii) ई–कामर्स ऑपरेटर,
(iv) सरकारी व अर्द्ध–सरकारी कम्पनी,
(v) ऑटोमोबाईल
(vi) नॉन–वेज खाद्य पदार्थ
(vii) मदिरायुक्त पेय (Alcoholic Beverages)
(viii) इलेक्ट्रोनिक्स व डिजिटल गैजेट्स तथा

(ix) मल्टीनेशनल/नेशनल कम्पनियों यथा McDonald's, Domino's, K.F.C., Subway, Café Coffee Day, Pizza Hut, Burger King, Dakins इत्यादि की Food Chain कम्पनियों के द्वारा जारी बिल/इनवॉइस

- **विस्तृत विवरण संलग्न है।**

राजस्थान राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि हेतु तथा जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड व्यवहारियों के द्वारा जीएसटी बिल/इनवॉइस जारी किये जाने एवं उपभोक्ताओं के द्वारा बिल/इनवॉइस प्राप्त किये जाने को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा **"मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना–2023"** जारी की गयी है।

इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके द्वारा राजस्थान राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यवहारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं के संबंध में प्राप्त बिलों/इनवॉइस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर अपलोड करने के उपरान्त लॉटरी द्वारा चयनित बिलों/इनवॉइस पर नकद पुरस्कार के रूप में देय होगी।

इस योजना में प्रतिमाह एप पर अपलोड किये गये बिलों का लॉटरी द्वारा ड्रॉ खोला जाकर चयन किया जायेगा। इस योजना में प्रतिमाह पांच प्रकार के कुल 1073 उपभोक्ताओं को 45 लाख रू के पुरस्कार वितरित किये जायेंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 10 लाख रू का होगा। साथ ही योजना की अवधि दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक अपलोड किये गये बिलों का लॉटरी द्वारा ड्रॉ खोला जायेगा, जिसमें 6 बम्पर पुरस्कार राशि रू 1.95 करोड़ के पुरस्कार वितरित किये जायेगे तथा बम्पर पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रू का होगा। **योजना का ऐप गूगल प्लेस्टोर पर शीघ्र उपलब्ध होगा।**

पुरस्कार राशि का विवरण

मासिक पुरस्कार				
क्र.सं.	**पुरस्कार**	**राशि/प्रति पुरस्कार**	**संख्या**	**कुल राशि (रू.)**
1.	प्रथम	10 लाख रुपये	1	10 लाख रुपये
2.	द्वितीय	5 लाख रुपये	2	10 लाख रुपये
3.	तृतीय	50 हजार रुपये	20	10 लाख रुपये
4.	50 जिले 50 पुरस्कार	10 हजार रूपये	50	5 लाख रुपये
5.	सांत्वना पुरस्कार	1 हजार रुपये	1000	10 लाख रुपये
योग			**1073**	**45 लाख** रुपये

वार्षिक बम्पर पुरस्कार				
क्र.सं.	**पुरस्कार**	**राशि/प्रति पुरस्कार**	**संख्या**	**कुल राशि (रू.)**
1.	प्रथम	1 करोड़ रुपये	1	1 करोड़ रुपये
2.	द्वितीय	25 लाख रुपये	2	50 लाख रुपये
3.	तृतीय	15 लाख रुपये	3	45 लाख रुपये
योग			**6**	**1.95 करोड़** रुपये

राजस्थान सरकार

वित्त (कर) विभाग

क्रमांकः प. 12(36) वित्त/कर/2023–47 **दिनांकः** 27.09.2023

आदेश

मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना–2023

राजस्थान राज्य में जीएसटी के राजस्व वृद्धि हेतु तथा राजस्थान राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यवहारियों के द्वारा जीएसटी बिल/इनवॉइस जारी किये जाने एवं उपभोक्ताओं द्वारा बिल/इनवॉइस प्राप्त किये जाने को प्रोत्साहित करने हेतु "**मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना–2023**" लागू की जाती है–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार –**

1.1 यह योजना **"मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना–2023"** कहलायेगी।

1.2 यह योजना दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.03.2024 की अवधि में जारी बिल/इनवॉइस पर लागू होगी।

1.3 यह योजना एक पुरस्कार योजना होगी, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यवहारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं के संबंध में प्राप्त बिलों/इनवॉइस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर अपलोड करने के उपरान्त लॉटरी द्वारा चयनित बिलों/इनवॉइस पर नकद पुरस्कार के रूप में देय होगी।

1.4 योजनान्तर्गत जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यवहारियों के द्वारा दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि में जारी बिल/इनवॉइस को उपभोक्ताओं के द्वारा मासिक आधार पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर माह समाप्ति के बाद आगामी 10 दिवस तक की अवधि में अपलोड करना होगा।

1.5 योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर अपलोड किये गये बिलों/इनवॉइस पर लॉटरी द्वारा चयनित बिलों/इनवॉइस को इस योजना के क्लॉज 3.1 के अनुसार नकद पुरस्कार के रूप में देय होगा।

1.6 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किये गये बिलों/इनवॉइस पर लॉटरी द्वारा चयनित बिलों/इनवॉइस पर इस योजना के क्लॉज 3.3 के अनुसार बम्पर नकद पुरस्कार के रूप में देय होगी।

2. **पात्रता –**

2.1. राजस्थान राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत Normal/Composition के रूप में रजिस्टर्ड व्यवहारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को कर योग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के विक्रय/सप्लाई के लिये जारी B2C (Business to Consumer) बिल/इनवॉइस इस पुरस्कार योजनान्तर्गत पात्र होगें।

2.2. जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यवहारी द्वारा पुनः विक्रय/सप्लाई हेतु क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं के B2B (Business to Business) बिल/इनवॉइस इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।

2.3. योजनान्तर्गत जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यवहारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किये गये कर योग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के B2C (Business to Consumer) बिल/इनवॉइस जिनकी न्यूनतम राशि रू 1000/– व अधिकतम राशि रू 1,00,000/– होगी, मान्य होंगे।

2.4. योजनान्तर्गत निम्न जारी बिल/इनवॉइस पात्र नहीं होंगे–

(x) एयरलाईन, रेलवे
(xi) बैंकिंग व वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनी,
(xii) ई–कामर्स ऑपरेटर,
(xiii) सरकारी व अर्द्ध–सरकारी कम्पनी,
(xiv) ऑटोमोबाईल
(xv) नॉन–वेज खाद्य पदार्थ
(xvi) मदिरायुक्त पेय (Alcoholic Beverages)
(xvii) इलेक्ट्रोनिक्स व डिजिटल गैजेट्स तथा
(xviii) मल्टीनेशनल/नेशनल कम्पनियों यथा McDonald's, Domino's, K.F.C., Subway, Café Coffee Day, Pizza Hut, Burger King, Dakins इत्यादि की Food Chain कम्पनियों के द्वारा जारी बिल/इनवॉइस

3. **पुरस्कार राशि का विवरण –**

3.1. पुरस्कार राशि वितरण हेतु प्रतिमाह अपलोडेड बिलों/इनवॉइस का लॉटरी द्वारा ड्रॉ खोला जाकर चयन किया जायेगा। इनामी राशि का विवरण निम्नानुसार होगाः–

क्र.सं.	**पुरस्कार**	**राशि/प्रति पुरस्कार**	**संख्या**	**कुल राशि (रू.)**
1.	प्रथम	10 लाख रुपये	1	10 लाख रुपये
2.	द्वितीय	5 लाख रुपये	2	10 लाख रुपये
3.	तृतीय	50 हजार रुपये	20	10 लाख रुपये
4.	50 जिले 50 पुरस्कार	10 हजार रूपये	50	5 लाख रुपये
5.	सांत्वना पुरस्कार	1 हजार रुपये	1000	10 लाख रुपये
योग			**1073**	**45 लाख** रुपये

3.2. प्रतिमाह अपलोडेड बिलों/इनवॉइस का लॉटरी द्वारा ड्रॉ आगामी माह की 20 तारीख को खोला जायेगा।

3.3. बम्पर पुरस्कार हेतु दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक अपलोडेड बिलों/इनवॉइस का लॉटरी द्वारा ड्रॉ खोला जाकर चयन किया जायेगा। इनामी राशि का विवरण निम्नानुसार होगाः–

क्र.सं.	पुरस्कार	राशि/प्रति पुरस्कार	संख्या	कुल राशि (रू.)
1.	प्रथम	1 करोड़ रुपये	1	1 करोड़ रुपये
2.	द्वितीय	25 लाख रुपये	2	50 लाख रुपये
3.	तृतीय	15 लाख रुपये	3	45 लाख रुपये
योग			**6**	**1.95 करोड़** रुपये

3.4. बम्पर पुरस्कार हेतु पात्रता की शर्तें –

3.4.1. बम्पर पुरस्कार हेतु दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक अपलोड किये गये बिल/इनवॉइस पात्र होगें।

3.4.2. बम्पर पुरस्कार की पात्रता हेतु संबंधित व्यक्ति द्वारा कम से कम 10 बिल/इनवॉइस तथा उनकी सामूहिक राशि रू 10,000/– से अधिक होनी चाहिये।

3.4.3. बम्पर पुरस्कार की पात्रता हेतु ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर बिल/इनवॉइस अपलोड करते समय जन–आधार नंबर दिया जाना आवश्यक होगा।

3.4.4. जन–आधार कार्ड में उल्लेखित परिवार के सदस्यों के नाम से जारी बिल/इनवॉइस इस योजना के क्लॉज 3.4.2 में वर्णित बम्पर पुरस्कार की पात्रता हेतु मान्य होगें।

3.4.5. बम्पर पुरस्कार का ड्रॉ अप्रैल, 2024 में खोला जायेगा।

3.4.6. बम्पर पुरस्कार के संबंध में अन्य नियम व शर्तें इस योजना के सामान्य पुरस्कार के लिए लागू नियम व शर्तों के समान होगी।

4. नियम एवं शर्तें –

4.1. योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यवहारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं के B2C (Business to Consumer) बिल/इनवॉइस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर अपलोड करने होगें।

4.2. उपभोक्ताओं द्वारा बिल/इनवॉइस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल/ऐप पर अपलोड करते समय निम्नलिखित सूचनाऐं देनी आवश्यक होगी –

4.2.1. बिल/इनवॉइस जारीकर्ता फर्म का नाम, पता व जीएसटी नंबर

4.2.2. बिल/इनवॉइस का क्रमांक, दिनांक व राशि
4.2.3. उपभोक्ता का नाम, पता व मोबाईल नंबर
4.2.4. उपभोक्ता का जन–आधार कार्ड नंबर

4.3. इस योजना के क्लॉज 3.1 के क्रम संख्या 4 में वर्णित पुरस्कार ''50 जिले 50 पुरस्कार'' के अंतर्गत उपभोक्ताओं के जिले के अनुसार राजस्थान के 50 जिलों के लिए प्रत्येक जिलानुसार 1–1 पुरस्कार का लॉटरी द्वारा प्रतिमाह ड्रॉ निकाला जायेगा।

4.4. इस योजना के क्लॉज 3.1 के क्रम संख्या 1 से 3 में वर्णित तथा क्लॉज 3.3 के क्रम संख्या 1 से 3 में वर्णित विजेता की पुरस्कार राशि में से 5 प्रतिशत की राशि बिल जारीकर्ता फर्म को प्रदान की जायेगी।

4.5. इस योजना के क्लॉज 3.1 के क्रम संख्या 1 से 5 तक वर्णित किसी भी एक पुरस्कार के लिए चयनित विजेता इस क्लॉज की अन्य किसी पुरस्कार योजना के तहत चयन के लिए योग्य नही होगा, परन्तु यदि वही उपभोक्ता क्लॉज 3.3 में वर्णित पुरस्कारों के लिए चयनित होता है, तो उसे बम्पर पुरस्कार की राशि भी देय होगी।

5. **योजना क्रियान्वयन एवं व्याख्या –**

5.1. इस योजना के क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए नोडल विभाग वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार होगा।
5.2. योजनान्तर्गत पुरस्कार का वितरण चयनित बिल/इनवॉइस की मूल प्रति पेश किये जाने एवं उस बिल/इनवॉइस का वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरांत किया जायेगा।
5.3. फर्जी बिलों/इनवॉइस के आधार पर अथवा अन्यथा इस योजना के दुरूपयोग किये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
5.4. इस योजना के संबंध में किसी भी तरह का विवाद होने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
5.5. इस योजना का नोडल विभाग योजना से संबंधित समस्त सूचना व अभिलेख संधारित करेगा तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) से सामंजस्य स्थापित कर ऑनलाइन पोर्टल/ऐप विकसित करेगा तथा योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता व कुशलता सुनिश्चित करेगा।
5.6. इस योजना के क्रियान्वयन के लिये ऑनलाइन पोर्टल/ऐप बनाने के लिये रू. 5.00 लाख का बजट प्रावधान अलग से किया जायेगा।
5.7. इस योजना के किसी भी प्रावधान को निरस्त करने अथवा संशोधित करने का अधिकार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को होगा।